न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 136 / 2019
निर्णय दिनांकः– 08.01.2021

उनवान

राजाराम पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बैणी प्रसाद मीना वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 483 ख0न0 144 रकबा 2.68 है0, ख0न0 145 रकबा 2.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.98 है0 ग्राम पलाई , खाता संख्या 484 ख0न0 7 रकबा 1.95 है0 ग्राम पलाई व खाता संख्या 328 ख0न0 1677 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजाराम पुत्र मोतीलाल है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड एंव राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 384 व 383 में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से किसी स्थान पर राजू पुत्र मोती अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम राजाराम पुत्र मोतीलाल है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र मोतीलाल के स्थान पर सहवन से राजू पुत्र मोती दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 483 ख0न0 144 रकबा 2.68 है0, ख0न0 145 रकबा 2.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.98 है0 ग्राम पलाई , खाता संख्या 484 ख0न0 7 रकबा 1.95 है0 ग्राम पलाई व खाता संख्या 328, ख0न0 1677 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम **राजू पुत्र मोती के स्थान पर राजाराम पुत्र मोतीलाल** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम गांगली के खाता सं0 483,484 व 328 कुल किता 3 में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र मोती जाति मीना दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जॉच से राजू पुत्र मोती व राजाराम पुत्र मोतीलाल एक ही व्यक्ति है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या खाता संख्या 483 ख0न0 144 रकबा 2.68 है0, ख0न0 145 रकबा 2.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.98 है0 ग्राम पलाई , खाता संख्या 484 ख0न0 7 रकबा 1.95 है0 ग्राम पलाई व खाता संख्या 328, ख0न0 1677 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा में प्रार्थी राजाराम पुत्र मोतीलाल जाति मीना साकिन पलाई खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र मोतीलाल व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम राजाराम दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम पलाई के खाता सं0 483, 484 व 328 में **राजू पुत्र मोती के स्थान पर राजाराम पुत्र मोतीलाल** किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 483, 484 व 328 कुल किता 3 वाके ग्राम पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **राजू पुत्र मोती के स्थान पर राजाराम पुत्र मोतीलाल** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक